संख्या-09/2023/I/291678/002-38-4002-099-3-2023

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश के प्रथम किश्त के द्वितीय अंश के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित शेष केन्द्रांश के मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-156/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0अ0यो0-ग्रा0(अनु0-13)/2022-23, दिनांक-25.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत भारत सरकार से प्रशासनिक मद रहित प्राप्त केन्द्रांश के द्वितीय अंश (रिलीज ऑफ सेकेण्ड ट्रेन्च ऑफ फर्स्ट इन्स्टॉलमेण्ट इक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फण्डस्) की धनराशि रूपये 154947.74100 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-06/2023/I/283233/003-38-4002-099-5-2021, दिनांक-02.03.2023 के द्वारा केन्द्रांश हेतु मात्र धनराशि रूपये 142699.30875 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रूपये 95132.86917 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. अतः भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष शेष बची धनराशि हेतु पूर्णांक में रूपये 12248.44 लाख के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश रूपये 8165.63 लाख (रूपये इक्यासी करोड़ पैंसठ लाख तिरसठ हजार मात्र) धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के माध्यम से करते हुए योजनान्तर्गत उक्त राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-13 में आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धः-

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गयी स्वीकृति की धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि के आहरण/व्यय के संबंध में अन्य संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष यथावश्यकता वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/योजना के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(9) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(11) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(12) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(13) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में अन्तरित की जायेगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/01/2022-आरएच-2-उत्तर प्रदेश, दिनांक-16.02.2023 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(15) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(17)स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18)स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(19) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस संबंध में राज्यांश में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-42-अन्य व्यय" नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या- बजट-1-563-ई0-2-212-एक्स-2022-23 दिनांक 21 मार्च, 2023 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

संख्या-09/2023/I/291678(1)/002-38-4002-099-3-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0स0) अनुभाग।
(11) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(12) श्री हरी राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) गार्ड बुक।

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20222023-38-4002-099-3-2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए आवास निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	5054043378901 (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण)	42 (अन्य व्यय)	29,49,48,32,000 रुपये उन्तीस अरब उनचास करोड़ अड़तालीस लाख बत्तीस हजार मात्र	16,56,24,18,524 रुपये सोलह अरब छप्पन करोड़ चौबीस लाख अठारह हजार पांच सौ चौबीस मात्र	81,65,63,000 रुपये इक्यासी करोड़ पैंसठ लाख त्रेसठ हजार मात्र	81,65,63,000 रुपये इक्यासी करोड़ पैंसठ लाख त्रेसठ हजार मात्र	28,67,82,69,000 रुपये अट्ठाईस अरब सड़सठ करोड़ बयासी लाख उनहत्तर हजार मात्र	2022-2023
कुल					₹ 81,65,63,000	₹ 81,65,63,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	4216038008901 (प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण))	42 (अन्य व्यय)	20,65,59,79,000 रुपये बीस अरब पैंसठ करोड़ उनसठ लाख उनासी हजार मात्र	81,65,63,000 रुपये इक्यासी करोड़ पैंसठ लाख त्रेसठ हजार मात्र	81,65,63,000 रुपये इक्यासी करोड़ पैंसठ लाख त्रेसठ हजार मात्र	21,47,25,42,000 रुपये इक्कीस अरब सैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख बयालीस हजार मात्र	2022-2023
कुल				₹ 81,65,63,000	₹ 81,65,63,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- 8901-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण -42-अन्य व्यय मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 8165.63 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

2- भारत सरकार द्वारा आवास निर्माण हेतु केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के कारण 8901-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अवशेष मैचिंग राज्यांश हेतु मानक मद-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत रू0 8165.63 लाख की पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण अपरिहार्य आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 निर्दिष्ट प्रतिबन्धो / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:RE-budget-1-563-E-2-212-X-2022-23-दिनांक:21-03-2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज।

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

नीलेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या : A038-20222023-38-4002-099-3-2023 , दिनांक- मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तरद प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(4) अपर आयुक्त (वित्त), कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
(5) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(8) श्री हरि राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।